



# ALL INDIA GOVERNMENT DRIVER'S FEDERATION

(Regd. No. S/00927 NE/2012/Dt. 13.06.12)

(Recognised by All States/Union Territories Vide Their Individual Affiliated State Govt./Central Govt.)  
Garage No. 3, M-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002

National President :  
**P. Kannan (Tamilnadu)**  
(M) 9600748302  
Public Health &  
Preventive Medicine  
E-mail : pkannanradha@gmail.com

Chief Patron :  
**Narender Singh (Delhi)**  
(M) 9210274309  
E-mail : aigdf16@gmail.com

National Secretary General :  
**Satpal (Delhi)**  
(M) 8700069715  
Off. Tel. No. : 23378128  
E-mail : spk.delhi@gmail.com  
Website : www.aigdf.org

Ref. No. AIGDF/2025/81

Date...30-1-2025

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री जी  
भारत सरकार,  
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

विषय:- भारत के राजकीय चालकों की लम्बित मांगों एवं समस्याओं के निवारण ना होने पर राष्ट्रीय आंदोलन की चेतावनी ।

माननीय महोदय,

ऑल इण्डिया गवर्नमेंट ड्राइवर फेडरेशन पिछले कई वर्षों में अपनी समस्याओं और चालकों की मांगों को लेकर 40 से अधिक पत्र लिख चुका है परन्तु हमारी मांगों एवं समस्याओं का अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है । चालकों के आंसुओं को पोछने के उद्देश्य से 2020 में एक बैठक डा० जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक जन शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उनके कार्यालय नार्थ ब्लॉक में हुई थी परन्तु इस बैठक का कोई परिणाम नहीं निकला । चालक वर्ग भारत सरकार की इस चुप्पी से बहुत ही दुखी मन से पुनः यह पत्र लिख रहा है कि चालकों की उचित मांगों पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाये । माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि आप की कुछ मांगें वित्त मंत्रालय व परिवहन मंत्रालय से संबंधित हैं, जिनको उचित कार्यवाही के लिये संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया जायेगा और उनके साथ आपकी बैठक भी सुनिश्चित की जायेगी परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ।

चालकों की मांगें निम्न हैं :-

1. राजकीय चालकों के पद को टेक्निकल पद घोषित किया जाये ।
2. भारत देश में चालकों को "एक काम एक समान वेतनमान दिया जाए ।
3. सरकारों में चालकों के रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती की जाये और ठेकेदारी प्रथा नियुक्त चालकों को नियमित किया जाये ।
4. सरकारी परामर्श तंत्र (जे.सी.एम) में चालकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।
5. सरकारी गाड़ी का बीमा किया जाये ।

कृपया पेज 2 देखें.....

6. स्टाफ कार चालक पदोन्नति स्कीम से अनुपात हटाया जाय ।
7. स्टाफ कार चालक पदोन्नति स्कीम से ट्रेड टेस्ट को हटाया जाये और लाईसेंस के नवीनीकरण के समय ट्रेड टेस्ट से छूट दिलाई जाये ।
8. चालक पद भर्ती नियम में संशोधन किया जाये, जिससे चालकों को अन्य तकनीकी पदों पर भी पदोन्नति का लाभ मिल सके ।
9. कण्डेम किये गये सरकारी वाहनों के बदले नये सरकारी वाहन खरीदे जाए ।
10. सरकारी वाहन का दुरुपयोग करना बंद किया जाये चाहिए ।
11. निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाना बंद किया जाना चाहिए ।
12. फ़ेडरेशन कार्यालय के लिए कार्यालय या प्लाट का आवंटन किया जाना चाहिए ।
13. चालक की मृत्यु के मामले में उसके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी जाये ।
14. चालकों का प्रारम्भिक न्यूनतम वेतन पे-मेट्रिक्स-5 में निर्धारित किया जाये क्योंकि चालक एक तकनीकी कार्यों के साथ-साथ सड़क जोखिम भी उठाता है ।

माननीय महोदय, ऑल इण्डिया गवर्मेन्ट ड्राइवर फेडरेशन आपसे अनुरोध करता है कि फेडरेशन की मांगों पर पुर्नविचार हेतु कार्मिक जन शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाये जिससे चालकों की ज्वलंत मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके अन्यथा राजकीय चालकों राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा ।

फेडरेशन एवं भारतवर्ष के राजकीय चालक आपके आभारी रहेगे ।

भवदीय


दिनांक 30-01-2025

(सतपाल)

राष्ट्रीय महासचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. डा० जितेन्द्र सिंह, माननीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक जन शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, भारत सरकार कार्यालय नार्थ ब्लॉक ।
2. श्रीमान् सचिव, कार्मिक जन शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार नार्थ ब्लॉक ।
3. श्रीमान् सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. श्रीमान् सचिव, परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन, ससंद मार्ग, नई दिल्ली ।
5. सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को इस आशय से कि चालकों की उक्त मांगों पर राज्य की चालक समितियों के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करेगे ।
6. अध्यक्ष/महासचिव, सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की राजकीय चालक संघ/समितियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।



(सतपाल)

राष्ट्रीय महासचिव